UPRB010034332026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1437/2026

सूरज कोरी उम्र 21 वर्ष, पुत्र द्वारिका कोरी, निवासी डीह, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

06.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **सूरज कोरी** की ओर से अपराध सं०–**127/2026**, धारा–**109(1) भा०न्या०सं०** व **9/25 आयुध अधिनियम,** थाना **भदोखर,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज होकर अन्तरित होने के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि मुखबिर खास की सूचना पर मुलिहामऊ की तरफ जाने वाली सड़क पर ग्रीन सिटी कालोनी के पास पीले रंग के ई–रिक्शा से प्रस्तुत प्रकरण में हुई लूट के सामान के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रयागराज साहू व सूरज कोरी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु० अपराध संख्या–72/2026, धारा–310(2), 311 भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित अभियुक्त प्रयागराज साहू द्वारा पहने पैंट की दाहिनी जेब से 200 रूपये के 02 नोट कुल 400 रुपये एवं 01 अदद की–पैड मोबाईल बारंग काला लावा कंपनी का बरामद हुआ व दाहिने हाथ की हथेली पर ट्रिगर ऊंगली के साथ फँसा हुआ 01 अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ जिसकी नाल को सूँघा गया एवं हमराहियान को सूँघाया गया तो नाल से ताजे बारूद की गंध आ रही है जिसकी नाप लंबाई 01 बालिस्त 02 अंगुल, नाल लोहा लंबाई करीब 06 अंगुल, बडी लोहा लंबाई करीब 05 अंगुल, बैंटी लोहा लंबाई करीब 04 अंगुल जिसपर लकड़ी की चाप लगी हुई है, नाल खोलने व बंद करने के लिये एक स्प्रिंग नुमा खटका लगा है, ट्रिगर हैमर व फायर पिन चालू हालत में है, ट्रिगर के ऊपर ट्रिगर गार्ड लगा हुआ है जिसकी नाल में 315 बोर का कारतूस फँसा हुआ है जिसे निकाल कर देखा गया तो जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसकी पेंदी पर 8 MM KF लिखा हुआ है तथा मौके पर 01 अदद खोखा कारतूस मिला जिसकी पेंदी पर 8 MM KF लिखा है, बरामद किया गया। पकड़े गये अभियुक्त सूरज कोरी की जामातलाशी से सिवाय पहने कपड़ों के कोई अन्य शय बरामद नहीं हुई। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों के कब्जे से मिले वाहन ई–रिक्शा लोडर में रखीी जूट की बोरियों में पीतल की नल की टोंटी 955 अदद बरामद हुई। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना अभी प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभि० निर्दोष है उसे अपराध उपरोक्त मे फर्जी फसाया गया है। प्रार्थी/अभि० का अपराध उपरोक्त से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रथमदृष्टया अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध सृजित नहीं होता है। थाना पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें को तरतीब देने के लिए झूठी पुलिस एनकाउंटर की कहानी गढ़ी गयी है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई तमंचे से फायर करने की कहानी नही लिखी गयी है और न ही प्रार्थी के पास से किसी प्रकार के शस्त्र की बरामदगी ही हुई है। कथित फर्जी घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को किसी प्रकार की चोट भी नही आयी। थाना पुलिस द्वारा धारा 103 B.N.S.S का घोर उल्लघन करते हुए किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश नही किया गया है। कथित बरामदगी का जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नही है इसलिए सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब व्यक्ति है मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी/अभि० दिनांक 06.05.26 से जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी विश्वसनीय जमानत व मुचलका देने को तैयार है। इन परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (फर्द बरामदगी) में नामित अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस मुठभेड़ की घटना दर्शायी गयी है, प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी पुलिस कर्मी को किसी प्रकार की फायर आर्म्स की चोट आना नही बताया गया है बल्कि अभियुक्त का ही घायल होना बताया गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त प्रयागराज साहू के दाहिने पैर की एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार उसके पैर की फिबुला बोन में फ्रैक्चर आने का उल्लेख किया गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सूरज कोरी की जामातलाशी से सिवाय पहने कपड़ों के कोई अन्य शय बरामद नहीं होना का उल्लेख किया गया है। कथित गिरफ्तारी एवं आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से मिले वाहन का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त **सूरज कोरी** को अपराध संख्या **127/2026**, धारा–**109(1) भा०न्या०सं० व 9/25 आयुध अधिनियम,** थाना **भदोखर,** जिला **रायबरेली** मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक/अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा।

2– यह कि आवेदक/अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा।

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(श्रीमती प्रतिमा)
जे.ओ. कोड–UP02637
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।

Aryan patel
(Stenographer)

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.07.07 12:25:54 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli